भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. SLM/1/2018/MHRD2/SETRAN/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **18.09.2018**

सेवा में

1. सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001

2. आयुक्त,
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
18, इंस्टिट्यूशनल क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016

विषयः श्रीमती स्नेह लता मीना, टीजीटी मॉडल टाउन, नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय दीमापुर से नई दिल्ली रीजन में स्थानांतरण के मामले में दिनांक 13.08.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 13.08.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **01 माह के भीतर** भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती स्नेह लता मीना, (टीजीटी साइंस), 7 ई, पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन, नई दिल्ली
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24615012 FAX: 24604689, 24624191
Toll Free: 1800117777 Website: http://ncst.nic.in mail ID assttdir@ncst.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. SLM/1/2018/MHRD2/SETRAN/RU-III

श्रीमती स्नेह लता मीना, टीजीटी, निवासी 7 ई, पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन–2, नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय, दीमापुर से नई दिल्ली रीजन में स्थानांतरण के मामले में दिनांक 13.08.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची	:	संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि	:	13.08.2018

श्रीमती स्नेह लता मीना, निवासी 7 ई, पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन–2, नई दिल्ली ने आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 10.07.2018 प्रेषित कर अवगत कराया कि वे केंद्रीय विद्यालय, दीमापुर, नगालैण्ड में टीजीटी (विज्ञान) के पद पर कार्यरत हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के तिनसुकिया रीजन में आता है। उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण दीमापुर, नगालैण्ड से दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण का अनुरोध आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली से किया था किंतु उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जनजाति की महिला होने के कारण उन्होंने आयोग से इसमें सहायता का अनुरोध किया है।

आयोग ने दिनांक 13.07.2018 को आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को नोटिस जारी कर आवेदिका के अभ्यावेदन पर 07 दिन के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। उत्तर न मिलने पर आयोग द्वारा यह सिटिंग निर्धारित की गई जिसमें आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली आयोग में चर्चा हेतु उपस्थित हुए।

बैठक में सर्वप्रथम आवेदिका को अपनी समस्या रखने का अवसर दिया गया जिन्होंने अवगत कराया कि उनकी 05 वर्षीय बेटी है तथा वे सिंगल मदर (Single Mother) हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनका पति से तलाक हुआ है और दिल्ली की द्वारका कोर्ट में क्रिमिनल मामला भी चल रहा है जिसकी वजह से कोर्ट द्वारा सम्मन किए जाने पर उन्हें बार–बार नगालैण्ड से दिल्ली आना पड़ता है तथा बहुत अधिक दूरी होने और छोटी बच्ची होने से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे निष्ठा से अपना अध्यापन कार्य करना चाहती हैं पर बार–बार कोर्ट में दिल्ली आने की मजबूरी से उन्हें कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में उन्होंने नई दिल्ली रीजन के किसी केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से अक्टूबर, 2017 में अनुरोध किया था और बोर्ड मीटिंग में इस बारे में विचार करने का आश्वासन उन्हें मिला था किंतु उन्हें बताया गया कि उनकी नियुक्ति पूर्वोत्तर जोन के लिए की गई है तथा उन्हें उस जोन में ही 03 वर्षों की सेवा के बाद उसी जोन में स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भर्ती की अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं था कि यह भर्ती किसी जोन विशेष हेतु की जा रही है। उसमें तो यह उल्लेख किया गया था कि अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
National ... Scheduled Tribes
भारत ... Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संगठन की गाइडलाइन्स में यह प्रावधान है कि पति/पत्नी के अन्यत्र सेवारत होने पर दम्पत्ति में से एक को उस स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा जहां उसका साथी पदस्थ है। यदि उनके पति, जो दिल्ली में सेवारत हैं, के साथ संबंध ठीक रहते तो इस नियम के तहत उनका दिल्ली स्थानांतरण हो सकता था किंतु Single Mother होने, द्वारका कोर्ट, दिल्ली में प्रकरण चलने, नगालैण्ड से दिल्ली की बहुत ज्यादा दूरी होने एवं छोटी बच्ची होने के बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है।

आयोग ने आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन से इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा जिन्होंने आयोग को बताया कि वर्ष 2017 में जो नियुक्तियां हुई थीं वे नई पॉलिसी के अंतर्गत हुई हैं जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए 06 जोन बनाए गए हैं जिसमें मेरिट और दिए गए विकल्प के अनुसार जोनवाइज नियुक्तियां दी गई थीं। श्रीमती स्नेह लता मीना की नियुक्ति भी इसी आधार पर पूर्वोत्तर जोन में हुई है और नियमानुसार उनको उसी जोन में स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः नियमानुसार उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दम्पत्ति (पति–पत्नी) के सरकारी सेवा में रहने पर उनके एक स्थान पर स्थानांतरण के प्रावधान पर चर्चा की गई किंतु केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से बताया गया कि आवेदिका का पति के साथ तलाक हो चुका है और मामला कोर्ट में है अतः उन्हें इस प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता है। सरकारी कर्मचारी से पुनर्विवाह की स्थिति में उक्त प्रावधान का लाभ मिल सकता है। Single Mothers के स्थानांतरण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थानांतरण नीति में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में पॉलिसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मामले में सभी तथ्यों को जानने के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएं करता है:–

1. इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग आवेदिका के नई दिल्ली रीजन में स्थानांतरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन को समुचित निर्देश जारी करें।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा Single Mother (सिंगल मदर), Divorced (तलाकशुदा) एवं Abandoned (परित्यक्ता) महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में छूट देने संबंधी दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार करे।
3. उक्त संबंध में की गई कार्रवाई/ लिए गए निर्णय से आयोग को <u>01 माह के भीतर</u> अवगत कराया जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. SLM/1/2018/MHRD2/SETRAN/RU-III

श्रीमती स्नेह लता मीना, टीजीटी मॉडल टाउन, नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय दीमापुर से नई दिल्ली रीजन में स्थानांतरण के मामले में दिनांक 13.08.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री राघव चंद्रा, सचिव
3. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
4. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
5. श्री गौरव कुमार, निजी सचिव
6. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी

श्री संतोष कुमार मल्ल, आयुक्त

आवेदिका

1. श्रीमती स्नेह लता मीना, टीजीटी मॉडल टाउन, नई दिल्ली
2. श्री इंदराज सिंह मीना, आवेदिका के पिता